KANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY, KANPUR

(PERMIT FORM)

PERMIT TO BUILD WITHIN THE DEVELOPMENT AUTHORITY AREA KANPUR UNDER THE U.P. URBAN PLANNING DEVELOPMENT ACT, 1973

S. No. :-	**895**	MAP NO-	**20190329155324400**
Plot/House	**ARAZI NO- 317(PART) & 318 (PART)**	Block/Sector/Type	**---**
Permit Date	**07.08.2020**	Scheme	**---**
Permit No.	**14/BHAWAN/ONLINE/2019-20**	Application Date	**01.04.2019**
Area(Place)	**SINGHPUR KACHHAR**		
Land Usage	**GROUP HOUSING**		
Applicant's Name	**M/S. GALAXY REAL ESTATE DEVELOPERS & BUILDERS PVT. LTD. THROUGH DIRECTOR SHRI SANJAI KUMAR JAIN.**		
Present Address	**R/O:- H.NO-12/483, MACROBERTS GANJ, KANPUR NAGAR.**		

Sanctioned vide order dated **:-24.02.2020 V.C.** by authorized officer.Building permission granted as per sanctioned building plan enclosed.Subject to The Conditions as per annexuse enclosed or written overleaf.

Validity Period:- Valid for five years from the date of Sanction for fresh Map/One year in Case of Renewal.

7/8/2020

Authorised Signatory

Copy To:- Officer Incharge (Enforcement) alongwith Sanctioned Copy of Map.

Authorised Signatory

अनुज्ञा की शर्तें:–

1. यह अनुज्ञा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अधीन प्रदत्त की जाती है, किन्तु इसके फलस्वरूप संदर्भित भू/गेह में किसी प्रकार के स्वामित्व न तो प्रदत्त होता है और न ही समाप्त होता है और न ही यह अनुज्ञा किसी प्रकार की विधित कार्यवाही हेतु निरोयोग्य अथवा विवधित करती है एवं इससे स्वामित्व के अधिकार पर भी किसी भॉति का अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।
2. यह अनुज्ञा किसी भी समय प्रात्यावेदन पर अथवा अन्य प्रकार यह ज्ञात होने पर कि अनुज्ञा सारवान तथ्यों को प्रस्तुत न कर अथवा छलपूर्वक व्यवहार कर प्राप्त की गयी है, निरस्त की जा सकती है।
3. अनुज्ञा के विपरीत यदि किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता हो तो ऐसे परिवर्तन हेतु पूर्व स्वीकृत अनिवार्य होगी।
4. यह अनुज्ञा निर्माणकर्ता अथवा उनके प्रतिनिधि को इस बात की सहमति नहीं देती है कि सार्वजनिक मार्ग अथवा सार्वजनिक भूमि में मकान इत्यादि बनवाकर निर्माण कार्य करे अथवा ऐसी जगह निर्माण कार्य करे जहॉ पर विद्युत तार हो, जब तक इस प्रकार लगे तार उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद् द्वारा अन्यत्र न हटा दिये जाये।
5. रेन वाटर हार्वेस्टिग तथा सोलर वाटर हीटिंग का प्राविधान करना होगा।
6. स्थल पर निर्माण एवं विकास कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना का दायित्व विकासकर्ता का होगा।
7. पक्ष को उपविधि 2008 के अनुसार स्थल पर वृक्ष लगाने अनिवार्य होगें एवं उनकी स्वयं देखभाल करनी होगी।
8. अध्यासन से पूर्व पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
9. भवन की स्ट्रक्चरल सेफ्टी के दृष्टिगत स्ट्रक्चरल डिजाइन एवं स्पेसिफिकेशन के सम्बन्ध में समस्त जिम्मेदारी पक्ष की होगी। स्थल पर निर्माण कार्य दक्ष स्ट्रक्चरल इंजीनियर की देख रेख में पूर्ण किया जायेगा।
10. राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिबुनल द्वारा जारी गाईड लाईन–2010 की शर्त के अनुसार विकासकर्ता द्वारा स्थल पर निमार्ण सामग्री को पूर्ण रूप से ढक कर व ट्रकों व अन्य वाहनों को भी ढक कर रखना होगा। निर्माण सामग्री सड़क पर ढक कर रखनी होगी। कार्य करने वाले कर्मचारियों को मास्क पहन कर कार्य करना होगा।
11. राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिबुनल द्वारा समय–समय पर पर्यावरण सम्बन्धी सभी निर्देशों तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की गांइड लाइन 2010 का अनुपालन अनिवार्य रूप से करना होगा।
12. भविष्य में शुल्कों के सम्बन्ध में कोई यदि वित्तीय देयता होती है तो आवेदक को देय होगी।
13. मानचित्र की स्वीकृति ग्रुप हाउसिंग उपयोग हेतु प्रदान की जा रही है। इतर अनुक्रिया कदापि अनुमन्य नही होगी।
14. किसी भी प्रकार के वाद–विवाद की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
15. अनुमन्य माइक्रोन सीमा से बाहर की पोलीथीन का उपयोग प्रतिबन्धित होगा।
16. स्थल पर कूड़ा निस्तारण हेतु एक नीला तथा एक हरा कूड़ादान रखना होगा।
17. रेरा की शर्तो का पालन करना होगा।
18. विभिन्न विभागों से प्राप्त एन0ओ0सी0 की शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन करना होगा।
19. भवन का निर्माण एवं प्रयोग स्वीकृति के अनुरूप किया जाना अनिवार्य होगा।
20. भवन निर्माण में लेबर एक्ट का पालन सुनिश्चित करना होगा।
21. विकासकर्ता एवं उससे भवनों को क्रय करने वाले क्रेताओं के मध्य होने वाले किसी भी विवाद का समस्त दायित्व विकासकर्ता का होगा।
22. समय–समय पर निर्गत तत्संगत शासनादेशों का अनुपालन करना होगा।
23. अनावासीय भवनों में यू0पी0ई0सी0बी0सी0 कोड–2018 की अपेक्षाओं के अनुसार संयोजित विद्युत अधिभार–100 कि0वा0 या उससे अधिक हो अथवा कान्ट्रैक्ट डिमाण्ड 120 के0वी0ए0 या उससे अधिक हो अथवा भवन का भूखण्ड क्षेत्रफल–1000 वर्ग मी0 से अधिक एवं निर्मित क्षेत्रफल न्यूनतम 2000 वर्ग मी0 (तलघर छोड़कर) में भवन की छत पर विद्युत उत्पादन हेतु भवन की पीक विद्युत मांग का 1 प्रतिशत क्षमता अथवा छत क्षेत्रफल के 25 प्रतिशत क्षेत्रफल जो भी कम हो पर रिन्यूवेबल एनर्जी जनरेशन जोन/सोलर पावर प्लांट की स्थापना किया जाना अनिवार्य होगा।
24. शासनादेशानुसार निर्माण करते समय कोविड–19 (नोबल कोरोना वायरस) में दिये गये शर्तों का पालन करना होगा।
25. उपरोक्त किसी भी प्रतिबन्धों/शर्तो का उल्लंघन आवेदक द्वारा करने की दशा मे प्रदान की स्वीकृति स्वतः समाप्त हो जायेगी।

Authorised Signatory